अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2023 (GCMS 2023/16) (आरटीआई नं. 212869756411498) हरिकृष्ण सोनी पुत्र श्री रामदयाल निवासी मकान नं. 214, गली नं. 12, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर – 335001 (मोबाईल नं. 98292–78143) <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी एवं उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>01.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरिकृष्ण सोनी एवं विभागीय प्रतिनिधि की ओर से श्री जेठाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी एवं उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2022 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना देने से इंकार कर दिया, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाने, शास्ति राशि उसे दिलवाने एवं निःशुल्क नोटशीट की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.05.2022 को नागरिक सुरक्षा की स्वयंसेवक सदस्यता के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र (मय पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) दिया गया था। इस संबंध में प्रार्थी की सदस्यता नवीनीकरण हेतु चलाई गई नोटशीट की सत्यप्रति प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2023

2. प्रार्थी को नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर के पत्रांक 664—69 दिनांक 12.09.2022 से नागरिक सुरक्षा की स्वयंसेवक सदस्यता से पृथक किए गया था। इस संबंध में प्रार्थी को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सदस्यता से पृथक किए जाने संबंधी चलाई गई नोटीशीट की सत्यप्रति प्रतिलिपि।
3. प्रार्थी को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सदस्यता से जिन कारणों से पृथक किया गया। उसकी सत्यप्रति प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक ना.सु./गंगा/स्था/जनसुनवाई/2023/229 दिनांक 21.02.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्री हरिकृष्ण सोनी पुत्र श्री रामदयाल जो पूर्व में नागरिक सुरक्षा का स्वयं सेवक था। उसकी अवधि 17.03.2022 को समाप्त हो गयी थी। बाद में उसने दिनांक 20.05.2022 को अवधि बढाने बाबत आवेदन किया। इनकी अवधि बढाने का कारण दिनांक 20.05.2022 को सम्बन्धित फाईल पर कार्यवाही हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया।

उक्त नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं निदेशालय से प्राप्त सम्बन्धित आदेश/निर्देश का अवलोकन कर नियंत्रक (जिला कलक्टर) महोदय, द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या 664—69 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा श्री हरिकृष्ण सोनी को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 6(2) के अनुसार नागरिक सुरक्षा की स्वयं सेवक सदस्यता से पृथक कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2023

श्री हरिकृष्ण सोनी द्वारा सूचना अधिकार तहत मांगी गई तीन बिन्दुवार सूचना अधिकार अधिनियम तहत नोट–शीट की प्रति दी जानी संभव नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त फरमावें।

महोदय, को उपरोक्त प्रकरण की सूचना से सम्बन्धित पत्राचार की प्रति व आदेश संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार मीना)
एस.डी.एम.
उप नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर ने ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक ना.सु./गंगा/स्था/सूचना–अधिकार/2022–23/1131–32 दिनांक 02.01.2023 के निम्नानुसार जवाब दिया है:

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्न प्रकार से है:

बिन्दु संख्या एक: नोटशीट की प्रमाणित प्रति विभागीय गोपनीय सूचना है, अतः अदेय है।

बिन्दु संख्या दो : नोटशीट की प्रमाणित प्रति विभागीय गोपनीय सूचना है, अतः अदेय है।

बिन्दु संख्या तीन : वांछित सूचना प्रश्नवाचक है, अतः अदेय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 1131–32 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है जो सही है किन्तु अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसके स्वयं एवं नियोक्ता से सम्बन्धित है इसलिए सूचना का अधिकार 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उप नियंत्रक (एस.डी.एम.), नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है **कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।**

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप नियंत्रक (एस.डी.एम.), नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested